उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय

नैनीताल

06, अप्रैल, 2022

समक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी

रिट याचिका (एस/एस) संख्या 1226/2020

मध्य:

कविता आर्य और अन्य। ..... याचिकाकर्ता

(श्री आर. सी. टम्टा और सुश्री मीनू, अधिवक्ता)

एवम्

उत्तराखंड राज्य और एक अन्य ..... प्रत्यर्थी(गण)

(श्री एम. सी. पांडे, अपर महाधिवक्ता, श्री वी. एस. रावत, उत्तराखंड राज्य के स्थायी अधिवक्ता और श्री राजेन्द्र डोभाल और श्री हरि मोहन भाटिया, हस्तक्षेपकर्ताओं के अधिवक्ता)

निर्णय

पक्षों के विद्वान अधिवक्तगण को सुना ।

2. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनके पास आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा विभाग में फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक योग्यता है। याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं। उनकी शिकायत यह है कि हाल के दिनों में फार्मासिस्ट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले प्रत्यर्थी संख्या २ द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में पद आरक्षित नहीं थे. उनके अनुसार यह राज्य की आरक्षण नीति का उल्लंघन है। उन्होंने दिनांक 26.09.2020 के विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी है कि जिन 71 पदों का विज्ञापन दिया गया था, उनमें से केवल एक पद एससी श्रेणी के लिए आरक्षित है।

3. आक्षेपित विज्ञापन के अवलोकन से पता चलता है कि इसे 24.09.2020 को जारी पहले के विज्ञापन में संशोधन के लिए जारी किया गया था। पहले के विज्ञापन (रिट याचिका के अनुलग्नक-5) में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं था, जबकि आक्षेपित विज्ञापन में एक पद अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है।

4. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत इस प्रकार हैः

> "1. प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी संशोधित विज्ञापन संख्या 4472/जी-23/2020-2021/अधि दिनांक 26.09.2020 को रद्द करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति का कोई रिट या आदेश या निर्देश जारी करें (अनुलग्नक संख्या 6 के रूप में)।II. विहित कानून के अनुसार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के पद पर आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करने के लिए प्रत्यर्थी को परमादेश आदेश/निर्देश की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्तगण का तर्क है कि राज्य सेवाओं में आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 19% पद आरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए जिन 71 रिक्तियों का विज्ञापन दिया

गया था, उनमें से कम से कम 19% यानी 13 पद अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए।इस प्रकार उनके अनुसार, प्रतिवादियों ने अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में पदों को आरक्षित नहीं करके राज्य की आरक्षण नीति के विपरीत कार्य किया है.

6. निदेशक, आयुर्वेदिक और यूनानी सेवाओं (प्रत्यर्थी संख्या 2) के द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। काउंटर एफिडेविट के पैराग्राफ संख्या 4 में, विज्ञापन की तिथि यानी 26.09.2020 को फार्मासिस्ट के कैडर में रिक्ति की स्थिति को सारणीबद्ध रूप में दिया गया है। इसके अवलोकन से, यह पता चला है कि 26.09.2020 तक विभाग में फार्मासिस्ट के कुल 692 स्वीकृत पद थे, जिनमें से 130 पद अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा धारित किए गए थे 27 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा और 97 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा धारित किए गए थे। इससे यह भी पता चलता है कि आरक्षण नीति के अनुसार फार्मासिस्ट के 692 स्वीकृत पदों में से 131.48 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होना आवश्यक है जबकि 27.68 पद अनुसूचित जनजाति के लिए और 96.88 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होना आवश्यक है।एस. सी., एस. टी. और ओ. बी. सी. के लिए आरक्षित पदों की संख्या को पूर्णांकित करके यह संख्या एस. सी. के लिए 131, एस. टी. के लिए 28 और ओ. बी. सी. श्रेणी के व्यक्तियों के लिए 97 हो जाती है।

7. प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 06.01.2022 को दायर पूरक जवाबी हलफनामे में, यह दोहराया गया है कि आरक्षण नीति के अनुसार, 131 पद अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं और वर्तमान में 692 पदों में से 130 पद उक्त श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों द्वारा धारित हैं। आगे कहा गया है कि चूंकि एससी श्रेणी के लिए केवल एक पद आरक्षित है, इसलिए आक्षेपित विज्ञापन में एक पद एससी श्रेणी के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया है। पूरक जवाबी हलफनामे का पैराग्राफ संख्या 5 नीचे दिया गया हैः

> "5 पूरक हलफनामे के पैरा संख्या 3 की सामग्री के जवाब में यह प्रस्तुत किया गया है कि पैराग्राफ के तहत याचिकाकर्ता का यह तर्क कि वर्ष 2016 में आयुर्वेदिक अस्पतालों के उन्नयन के कारण विभाग में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के नए पद सृजित किए गए हैं, भ्रामक है, बल्कि सच्चाई यह है कि सरकारी आदेश संख्या 903/एक्सएक्सएक्स/2016-148/2011 दिनांक 11.08.2016, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 58 पद, जिन्हें पहले स्वीकृत किया गया है, को मुख्य फार्मासिस्ट के पद के रूप में उन्नयन किया गया है, इस प्रकार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के पूर्व स्वीकृत पदों में से फार्मासिस्ट के 58 पदों की कमी है एवं वरिष्ठता के आधार पर मुख्य फार्मासिस्ट के पद पर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पदोन्नति की गयी है।
>
> यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि नियमों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं है, जहां तक कि जवाब के तहत पैराग्राफ में याचिकाकर्ता का तर्क है कि आयुष विंग में वर्ष 2017 में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 192 पद एवं यूनानी फार्मासिस्ट के 5 पदों का सृजन किया गया है, यह गलत है बल्कि सत्य तथ्य यह है कि शासनादेश दिनांक 21.10.2016 द्वारा 90 पद सृजित किए गए, एवं शासनादेश दिनांक 02.01.2017 द्वारा आयुष विंग में 90 पद सृजित किए गए हैं, इस प्रकार अब तक विभाग में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के कुल 692 पद स्वीकृत हैं तथा आरक्षण अधिनियम के अनुसार 692 पदों में अनुसूचित

जाति के लिए आरक्षित 19% पद 131.48 पद (692x19/100) होंगे। = 131.48)। यहां यह उल्लेख करना संदर्भ से बाहर नहीं होगा कि 130 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट (अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवार) अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 130 पदों के विरूद्ध काम कर रहे हैं और केवल एक पद रिक्त है, जिसका विज्ञापन 26.09.2020 को दिया गया है, लेकिन यह इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्टे ऑर्डर के अधीन है।यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि रिक्त पदों पर नियुक्ति स्टे ऑर्डर के समाप्त होने के तुरंत बाद की जाएगी, इसके अलावा सभी रिक्त पदों पर पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, प्रशासनिक और दंडात्मक कार्रवाई या दुर्घटनावश मृत्यु, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का पद जिस भी आरक्षित श्रेणी से संबंधित हो, वह पद उस विशेष श्रेणी के उम्मीदवार से रोस्टर के अनुसार भरा जाएगा।इस माननीय न्यायालय के स्पष्ट अवलोकन के लिए विभाग में फार्मासिस्ट के स्वीकृत पदों के विवरण का एक सही/फोटोकॉपी/सही टाइप किया गया संस्करण यहां दाखिल किया जा रहा है और इस हलफनामे में अनुलग्नक संख्या एससीए-1 के रूप में चिह्नित किया गया है।

8. पूरक काउंटर हलफनामे के अनुलग्नक संख्या-1 के रूप में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन से करने पर पता चलता है कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 692 स्वीकृत पद और यूनानी फार्मासिस्ट के 5 स्वीकृत पद हैं। इस प्रकार विभाग में फार्मासिस्ट के स्वीकृत पदों की कुल संख्या बढ़कर 697 हो गई है। यदि आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मासिस्ट का एक एकीकृत संवर्ग होगा तो एससी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों की संख्या बढ़कर 132 हो जाएगी।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 26.09.2020 का विज्ञापन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति में आरक्षण लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार रोस्टर का पालन नहीं किया गया है।

इस प्रकार, उनके अनुसार, सामान्य और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को एससी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए निर्धारित स्थान/रोस्टर अंक के खिलाफ नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुति अस्वीकार्य है, यदि प्रत्यर्थी संख्या २ द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में लिया गया रुख स्वीकार कर लिया जाता है, तो दिनांक 26.09.2020 के विज्ञापन के लिए चुनौती बिना किसी तथ्य के है। रोस्टर एक उपकरण है, जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार, आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवाओं में उनका उचित हिस्सा मिले। रोस्टर चालू खाते के रूप में कार्य करता है, तथापि, एक बार जब कुल संवर्ग में आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का पूर्ण प्रतिनिधित्व हो जाता है तो उसके बाद संवर्ग में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को उन व्यक्तियों की श्रेणी में से भरा जाता है जिनकी संबंधित रिक्तियां हैं। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि रोस्टर का संचालन किया जाए, हालांकि पिछड़े वर्गों को पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया गया है और एससी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 131 पदों में से केवल एक पद वर्तमान में रिक्त है।

11. राज्य की लोक सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 द्वारा शासित है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (5) इस प्रकार हैः

> "3. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।
>
> .....
>
> .....
>
> (5) उपधारा (1) के अधीन आरक्षण लागू करने के लिए राज्य सरकार एक अधिसूचित आदेश द्वारा एक रोस्टर जारी करेगी जिसमें लोक सेवा या पद की कुल संवर्ग संख्या, जिसमें आरक्षित बिन्दु और इस प्रकार जारी किया गया रोस्टर, उप-धारा (1) में वर्णित विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्राप्त होने तक, वर्ष दर वर्ष चालू खाते के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा और रोस्टर और चालू खाते का प्रचालन उसके पश्चात् समाप्त हो जाएगा और जब उसके पश्चात् लोक सेवा या पद में कोई रिक्ति होती है तो उस वर्ग के व्यक्तियों के बीच से भरा जाएगा, जिसका पद रोस्टर में है।"

12. उपर्युक्त प्रावधान से, यह स्पष्ट है कि नियुक्ति में आरक्षण लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार किए गए रोस्टर को वर्ष दर वर्ष चालू खाते के रूप में कार्यान्वित किया जाना है, हालांकि, एक बार स्थिति आ जाने पर जब विभिन्न आरक्षित श्रेणियों को आरक्षण नीति के अनुसार पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो रोस्टर/चालू खाते का संचालन समाप्त हो जाना चाहिए और जब उसके बाद कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो इसे उस श्रेणी के व्यक्तियों के बीच से भरा जाना चाहिए, जिसका पद रोस्टर में है।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने आर. के. सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (1995) 2 एस. सी. सी. 745 में रिपोर्ट किए गए आरक्षण नीति और रोस्टर के परस्पर संबंध पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि रोस्टर के रूप में चालू खाता रखने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को उनके आरक्षित पदों का प्रतिशत मिले और आगे चलकर चालू खाते की अवधारणा की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि इसका परिणाम अत्यधिक आरक्षण न हो ।

उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 5, 6, 7, 8 और 9 को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया हैः

> "**5.** हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए दूसरे तर्क में काफी बल देखते हैं. आक्षेपित सरकारी अनुदेशों के तहत प्रदान किए गए आरक्षण को प्रत्येक विभाग में संधारित किये जाने वाले रोस्टर के अनुसार संचालित किया जाना है। रोस्टर को वर्ष दर वर्ष चालू खाते के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। 'रनिंग एकाउंट' का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को उनके आरक्षित पदों का प्रतिशत मिले।आक्षेपित अनुदेशों में " चालू खाता " की अवधारणा की इस प्रकार व्याख्या की जानी चाहिए कि इसका परिणाम अत्यधिक आरक्षण के रूप में न आए।"16 प्रतिशत पद ....." अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं।क्रम संख्या 1, 7, 15, 22, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 72, 80, 87 और 91 में आने वाले 100 पदों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित और रोस्टर में

अंकित किया गया है । रोस्टर अंक 26 और 76 पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब एक संवर्ग में भर्ती शुरू होती है तो रोस्टर में अंकित 14 पदों को अनुसूचित जाति के सदस्यों में से भरना होता है। उदाहरण के लिए, किसी संवर्ग में पहला पद अनुसूचित जाति के लिए होना चाहिए और उसके बाद उक्त वर्ग 7वें, 15वें, 22वें और उसके बाद के 91वें पद के लिए हकदार है।जब एक संवर्ग में कुल पदों को रोस्टर के संचालन द्वारा भरा जाता है तो आक्षेपित निर्देशों द्वारा परिकल्पित परिणाम प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में, 100 पदों के संवर्ग में जब अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए रोस्टर में अंकित पद आरक्षित श्रेणियों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण का प्रतिशत पूरा कर लिया जाता है। हम इसके बाद रोस्टर को संचालित करने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं। "चालू खाता" केवल तब तक संचालित होगा जब तक कि आक्षेपित अनुदेशों के तहत उपलब्ध कोटा तक नहीं पहुंच जाता है और उसके बाद नहीं। एक बार जब पदों का निर्धारित प्रतिशत भरा जाता है तो पर्याप्तता की संख्यात्मक परीक्षा पूरी हो जाती है और उसके बाद रोस्टर अस्तित्व में नहीं रहता है। आरक्षण का प्रतिशत राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों का वांछित प्रतिनिधित्व है और यह उनकी आबादी के अनुपात के आधार पर जनसांख्यिकीय अनुमान के अनुरूप है। पदों का संख्यात्मक कोटा कोई बदलती हुई सीमा नहीं है, बल्कि यह उचित समझदारी के साथ एक आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए पिछड़े वर्गों और सामान्य वर्ग के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका रोस्टर को तब तक चालू रखने की अनुमति देना है जब तक कि संबंधित नियुक्त/पदोन्नत व्यक्ति रोस्टर में उनके लिए निर्धारित पदों पर कब्जा नहीं कर लेते। इसके बाद रोस्टर और "चालू खाते" का परिचालन समाप्त हो जाना चाहिए। प्रारंभिक पदों को भरने के बाद, संवर्ग में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों से कोई कठिनाई नहीं होगी। जब भी किसी विशेष पद में रिक्ति होती है, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, तो उसे उस श्रेणी के बीच से भरा जाना चाहिए, जिसके लिए पद रोस्टर में था। उदाहरण के लिए, रोस्टर प्वाइंट 1, 7, 15 पर पद धारण करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सेवानिवृत्त होने के बाद इन स्थानों को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में से भरना होगा। इसी प्रकार, यदि अंक 8 से 14 या 23 से 29 पर पद धारण करने वाले व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो इन स्थानों को सामान्य श्रेणी में से भरना होगा। इस प्रक्रिया का पालन करने से आरक्षण की प्रतिशतता में न तो कमी आएगी और न ही अधिकता होगी।

6. आरक्षण का प्रावधान करने वाले कार्यकारी निर्देशों में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले भाव 'पद' और 'रिक्तियां' कहीं अधिक समस्यापूर्ण हैं। 'पद' का अर्थ है नियुक्ति, नौकरी, कार्यालय या रोजगार।एक पद जिसमें किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता हो।"रिक्ति" से अभिप्रेत है एक खाली पद या कार्यालय। दोनों अभिव्यक्तियों का सादा अर्थ यह स्पष्ट करता है कि 'रिक्ति' होने के लिए 'पद' अस्तित्व में होना चाहिए। संवर्ग की संख्या को हमेशा संवर्ग के पदों की संख्या से मापा जाता है। नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार का दावा केवल किसी संवर्ग के पद के संबंध में किया जा सकता है।नतीजतन, आरक्षण का प्रतिशत उन पदों की संख्या के संबंध में तय करना होगा जो कैडर की संख्या

बनाते हैं।आरक्षण के प्रतिशत के संचालन में 'रिक्ति' की अवधारणा की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

7. जब एक संवर्ग में सभी रोस्टर प्वाइंट भरे जाते हैं तो आरक्षण का अपेक्षित प्रतिशत प्राप्त किया जाता है। एक बार आरक्षण नीति के अनुसार कुल संवर्ग में अनुसूचित जातियों/जनजातियों और पिछड़े वर्गों का पूर्ण प्रतिनिधित्व हो जाने के बाद संवर्ग में उसके बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को संबंधित रिक्तियों वाले व्यक्तियों की श्रेणी में से भरा जाएगा। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ वाले मामले में बहुमत के लिए बोलते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः(एससीसीपी पृष्ठ 737, पैरा 814)

> "1000 पदों वाली एक इकाई/सेवा/संवर्ग लें। अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत है, जिसका अर्थ है कि 1000 पदों में से 500 पद इन वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित होने चाहिए अर्थात 270 पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, 150 पद अनुसूचित जातियों के लिए और 80 पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होने चाहिए। एक निश्चित समय में, मान लीजिए कि यूनिट/सेवा/श्रेणी में ओबीसी के सदस्यों की संख्या केवल 50 है, 220 की कमी। इसी तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या क्रमशः 20 और 5 है, जो 130 और 75 की कमी। यदि पूरी सेवा/संवर्ग को एक इकाई के रूप में लिया जाता है और पिछले ढेर को पूरा करने की कोशिश की जाती है, तो खुली प्रतिस्पर्धा चैनल को कई वर्षों तक पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा जब तक कि सभी पिछड़े वर्गों के सदस्यों की संख्या 500 तक नहीं पहुंच जाती है, यानी जब तक कि उनमें से प्रत्येक के लिए निर्धारित कोटा पूरा नहीं हो जाता है। इसमें कई वर्ष लग सकते हैं क्योंकि प्रत्येक वर्ष होने वाली रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। इस बीच, खुली प्रतिस्पर्धा श्रेणी के सदस्य आयु-वर्जित और अयोग्य हो जाएंगे। उनके मामले में अवसर की समानता केवल एक मरीचिका बन जाएगी। यह याद रखा जाना चाहिए कि खंड (1) द्वारा प्रत्याभूत अवसर की समानता देश के प्रत्येक नागरिक के लिए है जबकि खंड (4) में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के पक्ष में विशेष प्रावधान किए जाने की परिकल्पना की गई है। दोनों को एक-दूसरे के साथ संतुलित होना चाहिए। किसी को भी दूसरे को ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उपर्युक्त कारण से, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि 50% प्रतिवर्ष के नियम को लागू करने के प्रयोजन के लिए,

यथास्थिति, संवर्ग, सेवा या यूनिट की संपूर्ण संख्या को नहीं बल्कि यूनिट के रूप में लिया जाना चाहिए।"

8. उद्धृत टिप्पणियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत सामान्य श्रेणी के अधिकारों की रक्षा के लिए एक इकाई के रूप में प्रति वर्ष 50% के नियम को अपनाया गया है, न कि संवर्ग की पूरी संख्या को। इंद्रा साहनी मामले में ये टिप्पणियां केवल उन पदों के संबंध में हैं जो शुरू में एक संवर्ग में भरे जाते हैं। संवर्ग की संख्या को भरने के लिए एक रोस्टर का संचालन अपने आप में यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर बना रहे। इंद्रा साहनी का मामला इस बात का प्राधिकार नहीं है कि संवर्ग की संख्या पूरी होने और आरक्षण का प्रतिशत हासिल होने के बाद रोस्टर जीवित रहता है।

9. जे. सी. मलिक बनाम भारत संघ वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध करते हुए रेलवे बोर्ड के दिनांक 20-4-1970 के परिपत्र की व्याख्या की। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण का प्रतिशत एक संवर्ग में पदों पर नियुक्ति के संबंध में है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि एक संवर्ग में सभी पदों को भरने के बाद रिक्तियों में आरक्षण की अनुमति दी जाती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और सामान्य श्रेणी को काफी नुकसान होने की संभावना है। हमें उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में कोई कमजोरी नजर नहीं आती।

14. एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, (2006) 8 एस. सी. सी. 212 में रिपोर्ट की गई, माननीय उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने पैरा 119 में सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के प्रश्न पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि "यदि किसी दिए गए मामले में न्यायालय को राज्य अधिनियमिति के तहत अत्यधिक आरक्षण मिलता है तो ऐसी अधिनियमिति को रद्द किया जा सकता है क्योंकि यह उपरोक्त संवैधानिक आवश्यकताओं का अल्पीकरण होगा।"उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 43 के प्रासंगिक अंश को नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

"43. ..... इसलिए, सार्वजनिक रोजगार में "अवसर की समानता" की अवधारणा एक व्यक्ति से संबंधित है, चाहे वह व्यक्ति सामान्य श्रेणी का हो या पिछड़े वर्ग का।अनुच्छेद 16 (1) के तहत व्यक्तिगत अधिकार के विरोधाभासी दावे और पिछड़े वर्ग को दी जाने वाली अधिमान्य व्यवस्था को संतुलित करना होगा। दोनों दावों का एक विशेष उद्देश्य है जिसे पूरा किया जाना है। सवाल इन परस्पर विरोधी हितों और दावों के अनुकूलन का है।

15. याचियों का यह तर्क कि राज्य सरकार द्वारा तैयार रोस्टर को लागू किया जाना चाहिए, जब भी किसी संवर्ग में नियुक्तियां की जाती हैं, यदि स्वीकार की जाती हैं, तो इसका परिणाम एस. सी., एस. टी. या पिछड़े वर्गों के पक्ष में अत्यधिक आरक्षण के रूप में हो सकता है, इस प्रकार अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है।इस पहलू पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जितेंद्र कुमार सिंह और एक अन्य

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2010) 3 एससीसी 119. में रिपोर्ट किए गए मामले में विचार किया गया है। उक्त निर्णय का पैरा संख्या 42 नीचे उद्धृत किया गया हैः

"42. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बनाम फैकल्टी असोसिएट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में डॉ.4 (पीजीआईएमईआर मामला) के पैरा 32 में इसी सिद्धांत को निम्नानुसार दोहराया गयाः

"32.अनुच्छेद 14,15 और 16 जिसमें अनुच्छेद 16 (4), 16 (4 -क) को इस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए जिससे कि आरक्षित वर्गों के लिए और समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए भी जो आरक्षित वर्गों से संबंधित नहीं हैं, उचित अवसर पैदा करके नियुक्तियों के मामले में संतुलन बनाया जा सके।बालाजी मामले, देवदासन मामले और सभरवाल मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णयों में इस तरह के दृष्टिकोण का संकेत दिया गया है।यहां तक कि इंद्रा साहनी के मामले में भी यही मत व्यक्त किया गया है कि केवल 50 प्रतिशत से अधिक सीमित आरक्षण की अनुमति है।यह सराहनीय है कि अनुच्छेद 15 (4) अनुच्छेद 16 (4) की तरह एक सक्षम प्रावधान है और दोनों प्रावधानों के तहत आरक्षण वैध सीमाओं से अधिक नहीं होना चाहिए।पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने में राज्य शेष नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकता।इसलिए अनुच्छेद 15 (4) [sic 16 (4)] के तहत विशेष प्रावधान को कई प्रासंगिक विचारों के बीच संतुलन बनाना चाहिए और निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ना चाहिए।इस संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य बनाम यू. एस. वी. बलराम और सी. ए. राजेन्द्रन बनाम भारत संघ वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चयों के प्रति निर्देश किया जा सकता है। इंद्रा साहनी के मामले में यह संकेत किया गया है कि अनुच्छेद 16 का खंड (4) अनुच्छेद 16 के खंड (1) और (2) के अपवाद की प्रकृति का नहीं है, बल्कि खंड (1) द्वारा अनुमत वर्गीकरण का एक उदाहरण है।उक्त निर्णय में यह भी संकेत दिया गया है कि अनुच्छेद 16 का खंड (4) अनुच्छेद 16 के खंड (1) और (2) के दायरे में आने वाले पूरे क्षेत्र को कवर नहीं करता है।इंदिरा साहनी के मामले में इस न्यायालय ने यह भी संकेत दिया है कि नागरिकों के पिछड़े वर्गों के हित में, राज्य सरकार राज्य या यहां तक कि उनमें से अधिकांश के तहत सभी नियुक्तियों को आरक्षित नहीं कर सकती है।अनुच्छेद 16 के खंड (1) में अवसर की समानता के सिद्धांत को अनुच्छेद 16 के खंड (4) के तहत पिछड़े वर्गों के पक्ष में इस तरह से मिलाया जाना है कि पिछड़े वर्गों के हित की सेवा करते समय पिछड़े वर्गों का अनुचित रूप से अतिक्रमण न हो समानता का क्षेत्र में।

इन टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरक्षण इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत मौलिक अधिकार निरर्थक हो

जाए। इंद्रा साहनी के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया हैः(एससीसी पृष्ठ 740, पैरा 818)

> "818. ..... हालांकि, हमारी राय में, कैरी-फॉरवर्ड नियम के लागू होने के परिणाम, जिस भी तरीके से इसे संचालित किया जाता है, 50 प्रतिशत नियम का उल्लंघन नहीं होगा।
>
> इसलिए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि इंद्रा साहनी मामले में इस न्यायालय द्वारा किसी विशेष वर्ष में आरक्षण पर रखी गई 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा को बनाए रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण करते समय प्रशासन की दक्षता को बनाए रखा जाए।

16. प्रत्यर्थी संख्या २ द्वारा दायर प्रतिशपथपत्र और पूरक प्रति-शपथपत्र में दिए गए तथ्यों और आंकड़ों से, यह न्यायालय संतुष्ट है कि अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित 131 पदों के मुकाबले, 130 पद पहले से ही अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों द्वारा धारित हैं और केवल एक पद है, जिसे एससी श्रेणी के व्यक्ति की नियुक्ति करके भरा जाना आवश्यक है। इसी प्रकार, अनुसूचित जनजाति के लिए नीति के अनुसार 28 पद आरक्षित हैं, जिनमें से 27 पद पहले से ही अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा धारित हैं। विज्ञापन में एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, इसलिए विज्ञापन में किसी तरह की कमजोरी नहीं है।

17. इस प्रकार मामले को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि आरक्षण नीति का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार, दिनांक 26.09.2020 के विज्ञापन को दी गई चुनौती बिना किसी तथ्य के है और इस मामले में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

18. प्रतिशपथपत्र और पूरक प्रति-शपथपत्र में फार्मासिस्ट के कैडर की संख्या 692 बताई गई है, हालांकि पूरक प्रति-शपथपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज के माध्यम से यह पता चला है कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 692 पदों के अलावा यूनानी फार्मासिस्ट के 5 स्वीकृत पद हैं। यह ज्ञात नहीं है कि आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मासिस्ट का एक एकीकृत संवर्ग है या नहीं। यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या 131 से बढ़कर 132 हो जाएगी।

19. पक्षकारों द्वारा किसी अभिवचन के अभाव में, यह न्यायालय पूर्वोक्त पहलू पर कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं कर सकता है.

20. मामले के ऐसे दृष्टिकोण में, याचियों को पूर्वोक्त विसंगति को उजागर करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यदि याचिकाकर्ता आज से तीन सप्ताह के भीतर इस तरह का अभिवेदन करते हैं, तो प्रत्यर्थी संख्या २ इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अभिवेदन की प्राप्ति की तिथि से छह सप्ताह के भीतर, कानून के अनुसार, मामले में निर्णय लेगा.

21. पूर्वोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

22. अंतरिम आदेश दिनांकित 15.10.2020 को रद्द कर दिया गया है। प्रत्यर्थी बिना किसी देरी के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस तरह की नियुक्ति याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करेगी।

(मनोज कुमार तिवारी, जे.)

नवीन